(9)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना –2021 की समीक्षा

Master Plan Review–2021

पंजीकरण फार्म

REGISTRATION FORM

"ओपन हाउस मीट्स"

"OPEN HOUSE MEETS" Zone - H

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए Form to be filled by Participant	
नाम Name	JAI BHAGWAN AGGARWAL
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	M.L.A. ROHINI Director (Plg.) MPR/TC, D.D.A. Vikas Minar N. DELHI-2 Dy.No. 2921 Dated 1/5
वर्तमान स्थिति Present Position	
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	O- A-3/89 SECTOR-7 ROHINI DELHI-85 R- A-16, SARASWATI VIHAR, PITAMPURA, DELHI-34 -9310111717
फैक्स : Fax :	011- 27046161
ई–मेल E-mail	
पता : Address :	— as above —
हस्ताक्षर : Signature :	Bhagwan
तिथि : Date :	01-05-2012

"अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं

"Submit your registration form at the venue of Open House meets."

78

सत्यमेव जयते

जय भगवान अग्रवाल

- उपनेता प्रतिपक्ष, विधान सभा, दिल्ली
- सदस्य, विधान सभा, दिल्ली
- सदस्य, लोक लेखा समिति
- सदस्य, कार्य मत्रंणा समिति

कार्यालय • फ्लैट नं0-89, पाकेट ए-3, सैक्टर-7,
रोहिणी, दिल्ली-110 085
ए-16, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-34

फोन • (का0) 27048575 (नि0) 27033434
(मो0) 9310111717

अर्ध. शा. पत्र. स. वि0अ0/12/188

दिनांक. 30.04.12

सेवा में,

श्रीमान आयुक्त योजना
दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास मीनार, आई0टी0ओ0
नई दिल्ली

विषय–: मास्टर प्लान 2021 के भवन निर्माण सम्बन्धित नियमों मे संशोधन करने हेतु।

महोदय,

रोहिणी एशिया की सबसे बड़ी कालोनी है। इस कालोनी में 26 वर्गमी0 32 वर्गमी0, 48 वर्गमी0, 60 वर्गमी0, 90 वर्गमी0, 120 वर्गमी0, 160 वर्गमी0, 300 वर्गमी0 तक के आवासी प्लाट उपलब्ध है। इनमे से अधिकतर प्लाट निम्न आय वर्ग और मध्य आय वर्ग के है। इस क्षेत्र के निवासी चाहते है की सभी प्रकार के 2–2 प्लोटो को मिलाकर मकान बनाने वाले लोगो को कुछ राहत मिलनी चाहिये। अब तक 2 प्लोटो को मिलाकर मकान बनाने हेतु एम0सी0डी0 व डी0डी0ए0 नक्शे पास नही करते। जिसके कारण उन लोगो को काफी परेशानी है जो अपनी आवश्यकता अनुसार आवासीय समस्या के समाधान हेतु 2 प्लोटो को जोड़ कर मकान बनाना चाहते है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात यह है कि 2 प्लाट जोड़कर मकान बनाने के भवन सम्बन्धित पूराने नियमो मे बदलाव कर मास्टर प्लान 2021 में संशोधन कर दिया जाये तो दिल्ली की भवन निर्माण सम्बन्धित समस्या से जनता को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है और सरकार को बिजली–पानी–सीवर जैसी मूलभुत सुविधाये भी कम से कम उपलब्ध करवानी होगी क्योकि 2 रसोई की जगह 1 रसोई, 2 बाथरूम की जगह 1 बाथरूम, 2 पीने के कनेक्शन की जगह 1 पानी का कनेक्शन और 2 बिजली के कनेक्शन के बदले 1 बिजली का कनेकशन से काम चल सकता है। इसलिए किसी भी तरह सरकार को कोई नुकसान नही है। दिल्ली की जनता की इस गम्भीर समस्याओं को मघे नजर रखते हुये शीघ्र अति शीघ्र मास्टर प्लान 2021 मे जनता की भावनाओं के अनुरूप संशोधन किया जाये।

धन्यवाद सहित

आपका

Bhagwan

(जय भगवान अग्रवाल

सत्यमेव जयते

जय भगवान अग्रवाल

- उपनेता प्रतिपक्ष, विधान सभा, दिल्ली
- सदस्य, विधान सभा, दिल्ली
- सदस्य, लोक लेखा समिति
- सदस्य, कार्य मत्रंणा समिति

कार्यालय • फ्लैट नं०-89, पाकेट ए-3, सैक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110 085
ए-16, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-34

फोन • (का०) 27048575 (नि०) 27033434
(मो०) 9310111717

अर्ध. शा. पत्र. स. वि०वो०/12/183

दिनांक 30.04.12

सेवा में,

श्रीमान आयुक्त (योजना)
दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास मीनार, आई०टी०ओ०
नई दिल्ली

विषय–: दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजना अनुसार बनने वाले किसी भी मुख्य मार्ग के बनने की समय सीमा भी होनी चाहिये।

महोदय,

लगभग 30 वर्ष पूर्व रोहिणी कालोनी के मुख्य मार्ग जिसका नाम आज तक महाराजा अग्रसेन मार्ग है, बनना था मगर यह मार्ग केवल विजय विहार अनाधिकृत कालोनी तक ही बना है जबकि विजय विहार को पार करते हुये यह मार्ग रोहिणी एक्स० तक जाना था। आज तक न तो इस मार्ग का कोई विकल्प तालाश किया गया है और न ही इस मार्ग को बनाया गया है। इसके लिए भी मास्टर प्लान 2021 में कोई समय सीमा तय होनी चाहिये।

आपका

धन्यवाद सहित

Bhagwan

(जय भगवान अग्रवाल)

जय भगवान अग्रवाल

• उपनेता प्रतिपक्ष, विधान सभा, दिल्ली
• सदस्य, विधान सभा, दिल्ली
• सदस्य, लोक लेखा समिति
• सदस्य, कार्य मत्रणां समिति

कार्यालय • फ्लैट नं०-89, पाकेट ए-3, सैक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110 085
ए-16, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-34

फोन • (का०) 27048575 (नि०) 27033434
(मो०) 9310111717

अर्ध. शा. पत्र. स. वि०स०/12/184

दिनांक. 30.04.12

सेवा में,

श्रीमान आयुक्त (योजना)
दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास मीनार, आई०टी०ओ०
नई दिल्ली

विषय–: दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये सामुदायिक भवनो की दुर्दशा के सम्बन्ध में।

महोदय,

रोहिणी कालोनी में आज तक दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जीतने भी सामुदायिक भवन बनाये है, सब की स्थिति बद् से बद्तर है। सार्वजनिक आयोजनो सम्बन्धित समस्या के समाधान हेतु सामुदायिक भवन बनाये जाते है, सामुदायिक भवन बन तो जाते है मगर देख–रेख के अभाव में इनमे समय रहते बिजली–पानी–सीवर जैसी सुविधायें उपलब्ध नही करवाई जाती और जिसके कारण जनता को आवश्यकता पडने पर यह उपलब्ध भी नही होते बल्कि एक अनाथ बालक का रूप धारण कर लेते है। उदाहरण के तौर पर–:

1. सैक्टर–7 ई–ब्लाक स्थित सामुदायिक भवन।
2. सैक्टर–18 रोहिणी स्थित पेराडाईस अपार्ट० मे बना सामुदायिक भवन।
3. सैक्टर–19 रोहिणी में बना सामुदायिक भवन।

धन्यवाद सहित

आपका

Bhagwan

(जय भगवान अग्रवाल)

(9)

दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
मुख्य योजना –2021 की समीक्षा
Master Plan Review–2021

पंजीकरण फार्म
REGISTRATION FORM

"ओपन हाउस मीट्स"
"OPEN HOUSE MEETS" Zone - H

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए Form to be filled by Participant	
नाम Name	JAI BHAGWAN AGGARWAL
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	M.L.A. ROHINI Director (Plg.) MPR/TC, D.D.A. Vikas Minar N. DELHI-2 Dy.No. 2921 Dated 1/5
वर्तमान स्थिति Present Position	
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	O- A-3/89 SECTOR-7 ROHINI DELHI-85 R- A-16, SARASWATI VIHAR, PITAMPURA, DELHI-34 -9310111717
फैक्स : Fax :	011- 27046161
ई–मेल E-mail	
पता : Address :	— as above —
हस्ताक्षर : Signature :	Bhagwan
तिथि : Date :	01-05-2012

"अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं
"Submit your registration form at the venue of Open House meets."

78

जय भगवान अग्रवाल

- उपनेता प्रतिपक्ष, विधान सभा, दिल्ली
- सदस्य, विधान सभा, दिल्ली
- सदस्य, लोक लेखा समिति
- सदस्य, कार्य मत्रणां समिति

कार्यालय • फ्लैट नं०-89, पाकेट ए-3, सैक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110 085
ए-16, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-34
फोन • (का०) 27048575 (नि०) 27033434
(मौ०) 9310111717

अर्ध. शा. पत्र. स. वि०वो०/12/83

दिनांक 30.04.12

सेवा में,

श्रीमान आयुक्त (योजना)
दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास मीनार, आई०टी०ओ०
नई दिल्ली

विषय—: दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजना अनुसार बनने वाले किसी भी मुख्य मार्ग के बनने की समय सीमा भी होनी चाहिये।

महोदय,

लगभग 30 वर्ष पूर्व रोहिणी कालोनी के मुख्य मार्ग जिसका नाम आज तक महाराजा अग्रसेन मार्ग है, बनना था मगर यह मार्ग केवल विजय विहार अनाधिकृत कालोनी तक ही बना है जबकि विजय विहार को पार करते हुये यह मार्ग रोहिणी एक्स० तक जाना था। आज तक न तो इस मार्ग का कोई विकल्प तालाश किया गया है और न ही इस मार्ग को बनाया गया है। इसके लिए भी मास्टर प्लान 2021 में कोई समय सीमा तय होनी चाहिये।

धन्यवाद सहित

आपका

(जय भगवान अग्रवाल)

जय भगवान अग्रवाल

• उपनेता प्रतिपक्ष, विधान सभा, दिल्ली
• सदस्य, विधान सभा, दिल्ली
• सदस्य, लोक लेखा समिति
• सदस्य, कार्य मत्रंणा समिति

कार्यालय • फ्लैट नं०-89, पाकेट ए-3, सैक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110 085
ए-16, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-34
फोन • (का०) 27048575 (नि०) 27033434 (मौ०) 9310111717

अर्ध. शा. पत्र. स. वि०स०/12/184

दिनांक. 30.04.12

सेवा में,

श्रीमान आयुक्त (योजना)
दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास मीनार, आई०टी०ओ०
नई दिल्ली

विषय–: दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये सामुदायिक भवनो की दुर्दशा के सम्बन्ध में।

महोदय,

रोहिणी कालोनी में आज तक दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जीतने भी सामुदायिक भवन बनाये है, सब की स्थिति बद् से बद्तर है। सार्वजनिक आयोजनो सम्बन्धित समस्या के समाधान हेतु सामुदायिक भवन बनाये जाते है, सामुदायिक भवन बन तो जाते है मगर देख–रेख के अभाव में इनमे समय रहते बिजली–पानी–सीवर जैसी सुविधायें उपलब्ध नही करवाई जाती और जिसके कारण जनता को आवश्यकता पडने पर यह उपलब्ध भी नही होते बल्कि एक अनाथ बालक का रूप धारण कर लेते है। उदाहरण के तौर पर–:

1. सैक्टर–7 ई–ब्लाक स्थित सामुदायिक भवन।
2. सैक्टर–18 रोहिणी स्थित पेराडाईस अपार्ट० मे बना सामुदायिक भवन।
3. सैक्टर–19 रोहिणी में बना सामुदायिक भवन।

धन्यवाद सहित

आपका

Bhagwan

(जय भगवान अग्रवाल)

जय भगवान अग्रवाल
• उपनेता प्रतिपक्ष, विधान सभा, दिल्ली
• सदस्य, विधान सभा, दिल्ली
• सदस्य, लोक लेखा समिति
• सदस्य, कार्य मत्रंणा समिति

कार्यालय • फ्लैट नं०-89, पाकेट ए-3, सैक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110 085
ए-16, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-34
फोन • (का०) 27048575 (नि०) 27033434
(मौ०) 9310111717

अर्ध. शा. पत्र. स. वि०स०/12/188

दिनांक. 30.04.12

सेवा में,

श्रीमान आयुक्त योजना
दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास मीनार, आई०टी०ओ०
नई दिल्ली

विषय–: मास्टर प्लान 2021 के भवन निर्माण सम्बन्धित नियमों मे संशोधन करने हेतु।

महोदय,

रोहिणी एशिया की सबसे बड़ी कालोनी है। इस कालोनी में 26 वर्गमी0 32 वर्गमी0, 48 वर्गमी0, 60 वर्गमी0, 90 वर्गमी0, 120 वर्गमी0, 160 वर्गमी0, 300 वर्गमी0 तक के आवासी प्लाट उपलब्ध है। इनमे से अधिकतर प्लाट निम्न आय वर्ग और मध्य आय वर्ग के है। इस क्षेत्र के निवासी चाहते है की सभी प्रकार के 2–2 प्लोटो को मिलाकर मकान बनाने वाले लोगो को कुछ राहत मिलनी चाहिये। अब तक 2 प्लोटो को मिलाकर मकान बनाने हेतु एम0सी0डी0 व डी0डी0ए0 नक्शे पास नही करते। जिसके कारण उन लोगो को काफी परेशानी है जो अपनी आवश्यकता अनुसार आवासीय समस्या के समाधान हेतु 2 प्लोटो को जोड़ कर मकान बनाना चाहते है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात यह है कि 2 प्लाट जोड़कर मकान बनाने के भवन सम्बन्धित पूराने नियमो मे बदलाव कर मास्टर प्लान 2021 में संशोधन कर दिया जाये तो दिल्ली की भवन निर्माण सम्बन्धित समस्या से जनता को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है और सरकार को बिजली–पानी–सीवर जैसी मूलभुत सुविधाये भी कम से कम उपलब्ध करवानी होगी क्योकि 2 रसोई की जगह 1 रसोई, 2 बाथरूम की जगह 1 बाथरूम, 2 पीने के कनेक्शन की जगह 1 पानी का कनेक्शन और 2 बिजली के कनेक्शन के बदले 1 बिजली का कनेकशन से काम चल सकता है। इसलिए किसी भी तरह सरकार को कोई नुकसान नही है। दिल्ली की जनता की इस गम्भीर समस्याओं को मधे नजर रखते हुये शीघ्र अति शीघ्र मास्टर प्लान 2021 मे जनता की भावनाओं के अनुरूप संशोधन किया जाये।

धन्यवाद सहित

आपका

Bhagwan

(जय भगवान अग्रवाल)

जय भगवान अग्रवाल

• उपनेता प्रतिपक्ष, विधान सभा, दिल्ली
• सदस्य, विधान सभा, दिल्ली
• सदस्य, लोक लेखा समिति
• सदस्य, कार्य मत्रंणा समिति

कार्यालय • फ्लैट नं०-89, पाकेट ए-3, सैक्टर-7,
रोहिणी, दिल्ली-110 085
ए-16, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-34
फोन • (का०) 27048575 (नि०) 27033434
(मो०) 9310111717

अर्ध. शा. पत्र. स. वि० स०/12/182

दिनांक 30.04.12

सेवा में,

श्रीमान आयुक्त योजना
दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास मीनार, आई०टी०ओ०
नई दिल्ली

विषय–: रोहिणी कालोनी में सभागार (ओडोटोरियम) बनाने हेतु।

महोदय,

रोहिणी जैसी विशालतम् कालोनी में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक भी सभागार की योजना न बनाना बहुत बड़ी भूल है। मास्टर प्लान 2021 में इस प्रकार की कालोनी में सभागार बनाने का प्रयोजन भी होना चाहिये।

धन्यवाद सहित

आपका

(जय भगवान अग्रवाल)

जय भगवान अग्रवाल

- उपनेता प्रतिपक्ष, विधान सभा, दिल्ली
- सदस्य, विधान सभा, दिल्ली
- सदस्य, लोक लेखा समिति
- सदस्य, कार्य मत्रणा समिति

कार्यालय • फ्लैट नं०-89, पाकेट ए-3, सैक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110 085
ए-16, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-34

फोन • (का०) 27048575 (नि०) 27033434
(मौ०) 9310111717

अर्ध. शा. पत्र. स. वि० स०/12/181

दिनांक 30.04.12

सेवा में,

श्रीमान आयुक्त योजना
दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास मीनार, आई०टी०ओ०
नई दिल्ली

विषय–: सरकारी विभागो को प्राईमरी विघालय, सि०सै०विघालय, कॉलेज, औषद्यालय,अस्पताल, डाकघर व शमशान घाट हेतु आवंटित प्लाटो पर भवन बनाने हेतु समय सीमा निर्धारित करवाने के लिए।

महोदय,

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली नगर निगम को प्राईमरी स्कूल व शमशान घाट बनाने हेतु दिल्ली सरकार को सि०सै०स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, औषद्यालय बनाने हेतु अनेको प्लाट उपलब्ध करवाये हुये है, मगर शत्–प्रतिशत आबादी होने के बावजुद भी दिल्ली नगर निगम व दिल्ली सरकार ने आवंटित प्लाटों पर भवन नही बनाये।

इस सम्बन्ध में मैं यह चाहूँगा कि मास्टर प्लान 2021 में आवंटित प्लाटो पर भवन बनाने की समय सीमा तय हो अन्यथा सम्बन्धित विभाग की एकाउटेब्लटी फिक्स हो।

धन्यवाद सहित

आपका

Bhagwan

(जय भगवान अग्रवाल)

73

जय भगवान अग्रवाल

- उपनेता प्रतिपक्ष, विधान सभा, दिल्ली
- सदस्य, विधान सभा, दिल्ली
- सदस्य, लोक लेखा समिति
- सदस्य, कार्य मत्रंणा समिति

कार्यालय • फ्लैट नं०-89, पाकेट ए-3, सैक्टर-7,
रोहिणी, दिल्ली-110 085
ए-16, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-34
फोन • (का०) 27048575 (नि०) 27033434
(मौ०) 9310111717

अर्ध. शा. पत्र. स. वि०उ०/12/180

दिनांक 30.04.12

सेवा में,

श्रीमान आयुक्त (योजना)
दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास मीनार, आई०टी०ओ०
नई दिल्ली

विषय–: दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित प्लाटो पर भवन बनाने के बाद कम्पलीशन सेर्टीफिकेट न मिलने के कारण आ रही परेशानियों के समाधान के उपाय हेतु।

महोदय,

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रोहिणी कालोनी में दिल्ली सरकार को जेल बनाने हेतु, एस०सी०/एस०टी० का कार्यालय, ई०एस०आई० अस्पताल बनाने हेतु एवं गुरू नानकदेव पालिटेक्नीक कालेज बनवाने हेतु प्लाट आवंटित किये थे। इसी प्रकार कुछ निजि संस्थाओं को विघालय खोलने हेतु प्लाट आवंटित किये थे। सभी आवंटित प्लाटो पर भव्य भवन बनकर सम्बन्धित विभागों के कार्यालय खुल चुके है व विद्यालय चल चुके है मगर आज तक किसी भी सरकारी, गैर–सरकारी भवन का कम्पलीशन सेर्टीफिकेट दिल्ली नगर निगम ने नही दिया है, जिसके कारण सभी को पीने के पानी के कई गुणा ज्यादा रेट देने पडते है जबकि कम्पलीशन सेर्टीफिकेट न देना सरकार का दोष है और आज तक पीने के पानी की व्यवस्था दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास है।

इस सम्बन्ध में भी मास्टर प्लान 2021 में भवन बनाने के बाद कम्पलीशन सेर्टीफिकेट देने की अनिवार्यता होनी चाहिये।

धन्यवाद सहित

आपका

(हस्ताक्षर)

(जय भगवान अग्रवाल)

जय भगवान अग्रवाल

• उपनेता प्रतिपक्ष, विधान सभा, दिल्ली
• सदस्य, विधान सभा, दिल्ली
• सदस्य, लोक लेखा समिति
• सदस्य, कार्य मत्रंणा समिति

कार्यालय • फ्लैट नं०-89, पाकेट ए-3, सैक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110 085
ए-16, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-34
फोन • (का०) 27048575 (नि०) 27033434
(मौ०) 9310111717

अर्ध. शा. पत्र. स. वि०स०/12/185

दिनांक. 30.04.2012

सेवा में,

श्रीमान आयुक्त (योजना)
दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास मीनार, आई०टी०ओ०
नई दिल्ली

विषय–: डी०डी०ए० द्वारा बनाई गई मार्किटो के रख–रखाव के सम्बन्ध में।

महोदय

रोहिणी कालोनी मे डी०डी०ए० ने जितनी भी मार्किट बनाई है सब की हालत खस्ता है। डी०डी०ए० न तो इन मार्किटो का रख–रखाव करती है और न ही इनको एम०सी०डी० को स्थानांतरण करती है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात यह है कि कुछ दुकाने तो नीलाम हो जाती है और कुछ दुकाने बन्द पड़ी रहने के कारण बद् से बदतर हो जाती है। ऐसे बन्द पड़ी दुकानो की **Auction** करने की भी एक समय सीमा होनी चाहिये और इनके रख–रखाव एवं स्थानांतरण की भी निश्चित समय सीमा होनी चाहिये और बिल्डिग एक्टीविटिज व सर्विस दोनो साथ–साथ स्थानांतरित होनी चाहिये।

धन्यवाद सहित

आपका

Bhagwan

(जय भगवान अग्रवाल)

जय भगवान अग्रवाल

- उपनेता प्रतिपक्ष, विधान सभा, दिल्ली
- सदस्य, विधान सभा, दिल्ली
- सदस्य, लोक लेखा समिति
- सदस्य, कार्य मत्रंणा समिति

कार्यालय • फ्लैट नं०-89, पाकेट ए-3, सैक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110 085
ए-16, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-34

फोन • (का०) 27048575 (नि०) 27033434
(मौ०) 9310111717

अर्ध. शा. पत्र. स. विध०/12/186

दिनांक. ....

30.04.12

सेवा में,

श्रीमान आयुक्त (योजना)
दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास मीनार, आई०टी०ओ०
नई दिल्ली

विषय–: डी०डी०ए० द्वारा बसाई गई कालोनी में डी०डी०ए० के खाली पड़े प्लोटो में बने डम्पींग–ग्राउडो के सम्बन्ध में।

महोदय,

आज रोहिणी जैसी कालोनी में डी०डी०ए० के जितने खाली प्लाट पड़े है वो सभी डमपींग ग्राउड बन चुके है। कालोनी के रख–रखाव की जिम्मेदारी का स्थानांतरण होने के बावजुद इन खाली प्लाटों की कोई सफाई नही करता। कही कूड़े के ढेर लगे है, कही खरपतवार का अम्बार लगा हुआ है, कही असामाजिक तत्वों की शरण–स्थली बने हुये है।

उदाहरण के तौर पर ई–ब्लाक सैक्टर–7 रोहिणी सबसे बड़ा उदाहरण है। इस कार्य के लिए भी मास्टर प्लान 2021 में सख्त कानून बनने चाहिये ताकि इनकी बिक्री से पहले रख–रखाव की व्यवस्था डी०डी०ए० के पास हो अगर सम्बन्धित अधिकारी रख–रखाव में कोताही बरते तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो।

धन्यवाद सहित

आपका

Bhagwan

(जय भगवान अग्रवाल)

सत्यमेव जयते

जय भगवान अग्रवाल

- उपनेता प्रतिपक्ष, विधान सभा, दिल्ली
- सदस्य, विधान सभा, दिल्ली
- सदस्य, लोक लेखा समिति
- सदस्य, कार्य मत्रणा समिति

कार्यालय • फ्लैट नं०-89, पाकेट ए-3, सैक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110 085
ए-16, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-34
फोन • (का०) 27048575 (नि०) 27033434
(मौ०) 9310111717

अर्ध. शा. पत्र. स. वि० वे०/12/87

दिनांक. 30.04.12

सेवा में,

श्रीमान आयुक्त (योजना)
दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास मीनार, आई०टी०ओ०
नई दिल्ली

विषय–: डी०डी०ए० द्वारा बसाई गई कालोनी में 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी होने के बाद कालोनी के रख–रखाव की जिम्मेदारी के स्थानांतरण की समय सीमा तय करवाने हेतु।

महोदय,

डी०डी०ए० जिस कालोनी को आबाद करती है वहाँ 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी होने के बाद भी कई–कई वर्ष तक कालोनी के रख–रखाव की जिम्मेदारी डी०डी०ए० से एम०सी०डी, पी०डब्लू०डी० व दिल्ली जल बोर्डको स्थानांतरित नही की जाती। इस स्थानांतरण की प्रक्रिया की समय सीमा तय होनी चाहिये और स्थानांतरण के नियमो का सरलीकरण होना चाहिये। स्थानांतरण की समय सीमा न होने ओर सरलीकरण न होने के कारण यह मामले अधर में लटके रहते है और विकास कार्यो में गतिरोध पैदा करते है। उदाहरण के तौर पर ई–ब्लाक सैक्टर–7 रोहिणी, डी०सी०चौक मार्किट सैक्टर–9 रोहिणी, पीने के पानी व सीवर व्यवस्था सैक्टर–18 रोहिणी आज तक डी०डी०ए० के पास है जबकि ओर सारा क्षेत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली नगर निगम व दिल्ली जल बोर्ड को सस्थानांतरित हो चुका है।

कृप्या समस्याओं की गम्भीरता को मद्दे नजर रखते हुये मास्टर प्लान 2021 में स्थानांतरण की समय–सीमा तय होनी चाहिये और सर्विसिज व बिल्डिग एक्टीविटिज साथ–साथ स्थानांतरित होनी चाहिये।

धन्यवाद सहित

आपका

(हस्ताक्षर)

(जय भगवान अग्रवाल)

जय भगवान अग्रवाल

- उपनेता प्रतिपक्ष, विधान सभा, दिल्ली
- सदस्य, विधान सभा, दिल्ली
- सदस्य, लोक लेखा समिति
- सदस्य, कार्य मत्रणा समिति

कार्यालय • फ्लैट नं०-89, पाकेट ए-3, सैक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110 085
ए-16, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-34
फोन • (का०) 27048575 (नि०) 27033434
(मौ०) 9310111717

अर्ध. शा. पत्र. स. ....

दिनांक. 30.04.12

सेवा में,

श्रीमान आयुक्त (योजना)
दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास मीनार, आई०टी०ओ नई दिल्ली

विषय–: मास्टर प्लान 2021 मे ग्रुप हाउसिंग सोसायटी एवं हाउसिंग बिल्ड़िग सोसायटी के विकास सम्बन्धित नियमों मे संशोधन हेतु।

महोदय,

दिल्ली मे आवासीय समस्याओं के समाधान हेतु पहले सहकारी समितियों के सदस्यो को प्लाट आवंटित किये जाते थे मगर जैसे–जैसे जगह की कमी होती गई वैसें–वैसे प्लाटो आ आवंटन बन्द कर सहकारी सोसायटियों को ग्र०हा० हेतु भू–खण्ड़ उपलब्ध करवा दिये गये। ग्रुप हाउसिंग हेतु उपलबध प्लाट पर ग्रुप हाउसिंग सोसायटी ने फ्लोर बनाकर सदस्यो को आवंटित कर दिये।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात यह है कि जो हाउस बिल्ड़िग सोसायटी विकसित हो गई उसको सोसायटी की मैनेजमेन्ट ने रख–रखाव की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम एवं दिल्ली जल बोर्ड को स्थानांतरित कर दी और स्थानांतरण के बाद सोसायटी के अन्दर सभी विकास कार्य उदाहरण के तौर पर गलियों का, नालियो का, पार्को का, बिजली का सभी खर्चा सरकार द्वारा या चुने हुये नुमाइन्दों के कोष द्वारा होने लगा अर्थात हाउसिंग बिल्ड़िग सोसायटी के किसी सदस्य को स्थानांतरण के बाद एक पैसा भी अपनी जेब से नही लगाना पड़ा। दूसरी ओर ग्र०हा० सोसायटी के सदस्यो को कई गुणा रेट पर एक मंजिल का केवल एक ही फ्लैट आवंटित हुआ ओर उसके बाद ग्र०हा०सोसायटी की चारदीवारी के अन्दर बिजली, पानी, सड़क चारदीवारी पार्को के विकास हेुत नियमित रूप से मासिक खर्चा देना पड़ता है जो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है।

इस सम्बन्ध में मैं यह चाहूँगा कि मास्टर प्लान 2021 मे जिन सम्बन्धित नियमों में संशोधन कर ग्र०हा० सोसायटी एवं हा० बिल्ड़िग सोसायटी के नियम एक जेसे होने चाहियें।

धन्यवाद सहित

आपका

(जय भगवान अग्रवाल)

68